दिनांक 26.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 45 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय में "संविधान दिवस" के अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिलाई गई शपथ

आज दिनांक **26.11.2024** को पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान **पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्णा** द्वारा उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **"संविधान दिवस"** के अवसर पर शपथ दिलाई गई।

कार्यक्रम के तहत अपर पुलिस महानिदेशक कानून-व्यवस्था **श्री अमिताभ यश** द्वारा अपने कार्यालय एवं पुलिस मुख्यालय में नियुक्त समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में भारत के संविधान की **प्रस्तावना का सामूहिक पाठ** किया गया तथा **मौलिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा एवं पालन की शपथ** ग्रहण की गई।

कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के आदर्शों, मूल्यों एवं दायित्वों के प्रति पुलिस कर्मियों में जागरूकता और प्रतिबद्धता को पुनः सुदृढ़ करना रहा।

दिनांक 26.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 46/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आगरा पुलिस कमिश्नरेट स्थापना के 03 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वर्चुअल शुभारम्भ

आगरा पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना के तीन वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज दिनांक 26.11.2025 को आयोजित कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारम्भ **श्री राजीव कृष्णा** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होने पुलिस आयुक्त आगरा श्री दीपक कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, आगरा के सम्मानित नागरिकों एवं पत्रकार बंधुओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 ने अपने संबोधन में बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश में पुलिस के प्रशासनिक ढाँचे में ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। इसी क्रम में लगभग तीन वर्ष पूर्व आगरा को पुलिस कमिश्नरेट का दर्जा प्रदान किया गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य आमजन को अधिक प्रभावी, त्वरित एवं संवेदनशील सेवा उपलब्ध कराना है, चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, साइबर अपराधों से निपटना हो या नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण।

उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमिश्नरेट प्रणाली दशकों से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले पाँच-साढ़े पाँच वर्षों में जहाँ-जहाँ यह प्रणाली लागू की गई है, वहाँ उल्लेखनीय सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट भी इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।

आगरा में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना के चलते उत्पन्न यातायात चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस द्वारा सुगम यातायात संचालन हेतु किए जा रहे प्रयासों की उन्होंने सराहना की। साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में आगरा पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियानों को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया, जिसके माध्यम से नागरिकों को साइबर अपराधों के तौर-तरीकों एवं बचाव के उपायों की जानकारी दी गई।

पुलिस महानिदेशक ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों, पत्रकारों एवं पुलिसकर्मियों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस अवसर पर यह संकल्प लिया जाना चाहिए कि कमिश्नरेट व्यवस्था के मूल उद्देश्यों—जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, महिलाओं की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण एवं संवेदनशील पुलिसिंग—को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आज संविधान दिवस है और संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, जो पुलिस का प्रमुख कर्तव्य भी है। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से संविधान की मूल भावना को आत्मसात करते हुए कार्य करने का आह्वान किया।

दिनांक 26.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 47/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ 33 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 320 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन**
- **07 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन**
- **01 कार बरामद**

दिनॉकः 25/26.11.2025 की रात्रि थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सरकारी कोटे की दुकान के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ 33 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 320 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन, 07 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सदर बाजार पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आसिफ निवासी ग्राम पढेरा थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली हालपता—मोहल्ला रायपुरा चौधरी थाना इज्जतनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 04 करोड़ 33 लाख (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलो 320 ग्राम अवैध स्मैक पाउडर/हेरोइन।

2—07 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन।

3—01 कार।

जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 03 लाख 39 हजार 200 रूपये नगद**
- **चोरी के 02 लैपटाप**
- **चोरी के 19 डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनॉकः 25/26.11.2025 को थाना किशनपुर, थाना खखरेरू व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोदरा जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त सुनील घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 03 लाख 39 हजार 200 रूपये नगद, चोरी के 02 लैपटाप, चोरी के 19 डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना किशनपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना किशनपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना किशनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी पुरानी बाजार कस्बा व थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—चोरी की 03 लाख 39 हजार 200 रूपये नगद।

2—चोरी के 02 लैपटाप।

3—चोरी के 19 डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड।

4—01 मोबाइल फोन।

5—01 मोटर साइकिल।

6—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना सिकन्द्राबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 25/26.11.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दनकौर तिराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद एटा, मैनपुरी, हाथरस, कासगंज, बुलन्दशहर एवं कमिश्नरेट गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 28 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जितेन्द्र उर्फ जीतू निवासी ग्राम बरखेडा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–चोरी के 01 लाख 60 हजार रूपये नगद।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना साइबर क्राइम

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **04 लाख 98 हजार 490 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन, 06 सीपीयू, 06 मॉनिटर, चेकबुक, मोहर, राउटर, डोंगल आदि बरामद**

दिनांक 25.11.2025 को थाना साइबर क्राइम लखनऊ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कठौता झील के पास से 02 अभियुक्तों 1–अभिनव उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजीव उर्फ संजीव उर्फ सर्वेश 2–संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 04 लाख 98 हजार 490 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 06 सीपीयू, 06 मॉनिटर, चेकबुक, मोहर, राउटर, डोंगल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो नीट परीक्षा पास कराने एवं एमबीबीएस/इन्जीनियरिंग/बी फार्मा व अन्य कोर्सेस में इटमीशन कराने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है।

इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम लखनऊ द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अभिनव उर्फ प्रेम प्रकाश उर्फ राजीव उर्फ संजीव उर्फ सर्वेश निवासी ग्राम फतेहपुर थाना बारूण जनपद औरंगाबाद बिहार।

2–संतोष कुमार निवासी दाल सिंह सराई समस्तीपुर बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1—04 लाख 98 हजार 490 रूपये नगद।

2—03 मोबाइल फोन, 06 सीपीयू, 06 मॉनिटर, चेकबुक, मोहर, राउटर, डोंगल आदि।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 05 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—मिथलेश कुमार को धारा 302/34/201/468/471/419 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत कठोर आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 2—सुन्ती उर्फ किरन को धारा 302/34/201/468/471/419 भादवि में कठोर आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड, अभियुक्त 3—दिवान 4—रामू को धारा 302/34/201/468/471 भादवि में कठोर आजीवन कारावास व 50—50 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता 5—किरन को धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना मोहम्मदपुर खाला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना मोहम्मदपुर खाला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—कृपाराम को धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—रामजीत को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना पूरामुफ्ती (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना पूरामुफ्ती पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376(2)झ भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमजद उर्फ उजैर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

दिनांक 26.11.2025
प्रेस विज्ञप्ति 48 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा भारत स्काउड एंव गाईड की डायमण्ड जुबली जंबूरी के अवसर पर उ0प्र0 पुलिस की प्रदर्शनी का किया गया भ्रमण

भारत स्काउट एवं गाइड की डायमण्ड जुबिली जम्बूरी के अवसर पर किए जा रहे आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा लगाई गई संयुक्त प्रदर्शनी का आज दिनांक 26.11.2025 को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्णा** द्वारा भ्रमण किया गया।

भ्रमण के दौरान पुलिस महानिदेशक यूपी-112 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को स्मृति-चिह्न भेंट किया गया। इसके उपरांत पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा प्रदर्शनी स्थल पर रखी गई विज़िटर बुक में अपने प्रेरक विचार अंकित किए गए तथा प्रदर्शनी में प्रस्तुत नवाचारों एवं प्रयासों की सराहना की गई।

उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की डायमंड जुबली जम्बूरी का विशाल आयोजन दिनांक 23.11.2025 से 29.11.2025 तक डिफेंस एक्सपो ग्राउंड, वृन्दावन योजना, सेक्टर-15, लखनऊ में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों सहित लगभग 30,000 स्काउट्स/गाइड्स, यूनिट लीडर्स तथा करीब 1500 विदेशी प्रतियोगी प्रतिभाग कर रहे है।

युवाओं में पुलिस के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक पुलिसिंग से अवगत कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस की 19 प्रमुख शाखाओं/ईकाइयों यूपी-112, वीमेन पॉवर लाइन-1090, साइबर क्राइम, टेलीकॉम, जीआरपी, एएनटीएफ, यातायात, अभियोजन, सुरक्षा, प्रशिक्षण, एसडीआरएफ, पीएसी, एटीएस, फॉयर, एसटीएफ, लखनऊ कमिश्नरेट, एफएसएल, पुलिस भर्ती बोर्ड और तकनीकी सेवाएं द्वारा जम्बूरी में लगभग 10 हजार वर्गफीट से अधिक क्षेत्र मे एक व्यापक संयुक्त प्रदर्शनी लगाई गयी है। इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली, तकनीकी क्षमताओं और विभिन्न आधुनिक संसाधनों को अत्यन्त सरलता एवं रोचक तरीके से दर्शाया गया है।

प्रदर्शन किया जा रहा है। जिसमें मुख्य रूप से निम्न विषयों पर विशेष फोकस किया जा रहा है —

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम
- बाल शोषण / चाइल्ड एब्यूज़ रोकथाम
- यूपी–112 की कार्यप्रणाली
- साइबर अपराध जागरूकता/रोकथाम
- पुलिस के आधुनिक हथियार और तकनीकी उपकरण
- नव लागू तीन आपराधिक कानूनों का जन-जागरूकता प्रदर्शन

इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कानून-व्यवस्था, सुरक्षा, तकनीक और अपराध रोकथाम से संबंधित आधुनिक पुलिसिंग की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना है। इससे स्काउट्स/गाइड्स तथा अन्य प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारियों और क्षमताओं की गहन जानकारी प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस समाज में सुरक्षित और जागरूक वातावरण निर्माण के अपने संकल्प को दोहराती है तथा जम्बूरी में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को इस ज्ञानवर्धक अनुभव से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक यूपी-112/ई0ओ0डब्ल्यू0, पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ सहित अन्य पुलिस अधिकारीगण उपस्थित रहें।

CYBER HELPLINE
1930
बंदीगृह
Alert & Ready